न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बून्दी

पीठासीन अधिकारी — श्री कमल कुमार मीना

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
421/दावा/2016	06.05.2016	9.10.2019
पुराना 20/दावा/2002		

उनवान—

1. नंदलाल आयु 59 वर्ष आ0 श्री हीरा जी जाति मेघवाल नि0 नमाना तह0 एवं जिला बून्दी

वादी

बनाम

1. मोती आयु 74 वर्ष आ0 श्री हीरा जी जाति मेघवाल नि0 नमाना तह0 एवं जिला बून्दी मृतक के कायम मुकामान
1/1. श्रीमती देव बाई आयु 47 वर्ष पत्नि श्री बाबूलाल जी जाति मेघवाल साकिन ग्राम जलौदा तह0के.पाटन जिला बून्दी
1/2. श्रीमती किशना बाई आयु 34 वर्ष पत्नि श्री सुरेश जी जाति मेघवाल साकिन गुढा तुरकडी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी
2. देवराज आयु 44 वर्ष आ0 श्री बृजगोपाल जाति स्वर्णकार नि0 ग्राम नमाना तह0 बून्दी
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार ,बून्दी
4. श्रीमति सुरेन्द्र कौर आयु 44 वर्ष पत्नी दिलीप सिंह जाति मजहबी सिक्ख नि0 ढोला की झोपडिया तह0 एवं जिला बून्दी
5. रामदेव राठौड आयु 59 वर्ष
6. रामनिवास राठौड आयु 49 वर्ष पिसरान श्री प्रभुलाल जाति तेली नि0 नमाना तह0 बून्दी

प्रतिवादीगण

वादः— अन्तर्गत धारा 53,88,89,183,188 रा0ली0एक्ट
वाद अन्तर्गत आदेश नियम 1 व 2 रा0टी0एक्ट

उपस्थित— वादी की और से अभिभाषक श्री तेज सिंह गौड़
प्रतिवादी की और से अभिभाषक श्री हनुमान बैरागी

निर्णय

आज यह कार्यवाही वास्ते आदेश पेश हुई कार्यवाही के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 431 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम नमाना जिसके पुराने खसरा संख्या 1595/86 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 1610/386 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा है जो वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता हीरा आ0 उदा मेघवाल नि0 नमाना द्वारा पड़त से फाड़कर आबाद की थी जिसको बाद मे राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आंवटित किया जाकर इन्तकाल खोलकर राजस्व कागजात मे उपरोक्त हीरा जी का खाता दर्ज हुआ तथा वर्तमान समय में विवादित भूमि का प्रतिवादी सं0 1 खातेदार कृषक के रूप मे इन्द्राज चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता हीरा आ0 उदा मेघवाल नि0 नमाना का देहांत आज से करीब 27 वर्ष पहले हो चुका है, जिनकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादी सं0 1 ने वादी की नासमझी का फायदा उठाकर रेवेन्यू कर्मचारियों से मिलकर वाद पत्र की चरण सं0 1 मे वर्णित कृषि भूमि को अपने नाम इन्तकाल खुलवा लिया । वर्तमान मे वाद पत्र की चरण सं0 1 मे वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के खाते चली आ रही है वादी को राजस्व कागजात की नकल लेने पर इस तथ्य का प्रथम बार ज्ञान हुआ है कि विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 ने अकेले ही अपने नाम खाते इन्द्राज करवा ली है। वाद पत्र की चरण सं0 1 मे वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं0 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर रामचन्द्र आ0 गोपी जाति मीणा नि0 कंवरपुरा का टापरा मजरा नमाना को आधोली मे काश्त करवा रहा है। प्रतिवादी सं0 2 को विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कराते रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित कृषि भूमि उपरोक्त पर राजस्व कागजात में खातेदार की हैसियत से अपने नाम खाते इन्द्राज करवाने का अधिकार घोषणा की ड्रिकी सादिर प्राप्त करते हुये विवादित भूमि पर अपने को प्राप्त 1/2 हिस्सो का विभाजन करवाकर मौके पर आधा हिस्से पर काबिज होकर प्रतिवादीगण 1 व 2 को बेदखल किया जाकर भविष्य मे अपने को प्राप्त 1/2 हिस्से की कृषि भूमि पर अनाधिकार कब्जा काश्त नहीं करे एवं स्वयं या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी ना करे इस आशय की प्रतिवादीगण 1 व 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की ड्रिकी सादिर प्राप्त करे। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पिता हीरा के वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ही वारिसान है। प्रतिवादी नं0 3 राज्य सरकार इसमें आवश्यक पक्षकार होने से वाद मे पक्षकार बनाया है जिन्होने वादी के नाम खाते इन्द्राज करने से मना कर दिया है। दौराने दावा विवादित भूमि रिसीवर होते हुये प्रतिवादी सं0 1 ने विवादित संपूर्ण भूमी कागजी तौर पर श्रीमति सुरेन्द्र कौर प्रतिवादी सं0 4 को विक्रय कर दी तथा विकय विलेख का पंजीयन 15.6.2006

Scanned by CamScanner

धारा 42 के विपरित होता। इस प्रकार वादी यहां पूर्ण रूप से स्वयं ही आश्वस्त नहीं है कि वह किसे भूमि से बेदखल करवाने हेतु यह वाद लेकर आये है। वादी की ओर से जिन गवाहान के बयान करवाये गये है उनके द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि वर्तमान में विवादित जमीन किसके कब्जे काश्त में चल रही है। वैसे भी वादी के कब्जा लेने की मियाद 12 वर्ष थी तथा वादी ने उक्त अवधि में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरूद्ध वादी किया जाता है।

तनकी सं0 3.

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी की ओर से इस सम्बन्ध में हालांकि कोई दस्तावेजी रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है,लेकिन प्रतिवादी ने अपने जवाब में वादी को पक्षकारान के काका भोडू जी के गोद चले जाने का उल्लेख किया है तथा वादी नन्दलाल ने स्वयं भी अपने बयानो में जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि भोडूलाल की सेवा उसने की है हालांकि इससे गोद जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं होते है। प्रतिवादी की ओर से वादी के गोद जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र में अंकित कथनो को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है। विवादित आराजी में वादी के स्वत्व का प्रश्न है तो वादी हीरा का ही पुत्र होने से उसके स्वत्व को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वादी को विवादित आराजी में जो भी अधिकार प्राप्त थे वह अब अवधि बाधित हो चुके है। इस प्रकार प्रतिवादी हालांकि गोद के तथ्यों को प्रमाणित करने में विफल रहने से इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी सं0 4.

वादी की ओर से यह दावा आर.टी.एक्ट की धारा 183 के अन्तर्गत भी प्रस्तुत किया है तथा वादी ने अपने बयानो में भी भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं होना माना है। हालांकि खातेदारी अधिकार हेतु वाद लाने की कोई समय सीमा नहीं है,लेकिन यहां यह वाद केवल मात्र खातेदारी अधिकारों के लिए ही नहीं लाया गया इसमें बेदखली की रिलिफ भी चाही गई है। वादी का वादग्रस्त आराजी पर हीरा के मृत्यु के उपरान्त से ही कभी कब्जा काश्त नहीं रहा और न ही उसके द्वारा विवादित आराजी का नामा0 जब अकेले मोती के नाम खोला तब उसे चैलेन्ज किया गया। ऐसी स्थिति में वादी के वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार निहित थे तो वह भी वाद प्रस्तुती तक अवधि बाधित हो चुके थे। प्रतिवादी मोती द्वारा विवादित भूमि का बैचान प्रतिवादी सं.4 को किया जा चुका है तथा वर्तमान में भूमि पर कौन काबिज है इस तथ्य को भी वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः वादी विवादित आराजी के सम्बन्ध में अब किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के हक में किया जाता है।

आदेश

उक्तानुसार तनकीवाद विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादी का कब्जा हीरा की मृत्यु के बाद से ही कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है और हीरा की मृत्यु उपरान्त दिनांक 12.1.83 को प्रतिवादी सं. 1 के हक में खोले गये नामा0 को भी वादी ने तत्समय चैलेन्ज नहीं किया। यहां वादी ने धोषणा एवं बंटवारा के साथ बेदखली की भी रिलिफ चाही है जिसकी मियाद 12 वर्ष थी। वादी की ओर से यह दावा 19 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है ऐसे में वादी के विवादित भूमि में कोई अधिकार निहित थे तो वह भी अवधि बाधित होकर समाप्त हो गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि का बैचान भी अन्य को किया जा चुका है। वर्तमान में विवादित आराजी किसके कब्जे काश्त में चल रही है इस तथ्य को भी वादी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अतः वाद वादी साक्ष्य एवं रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बून्दी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kamal Kumar Meena
Date: 2019.12.05 14:48:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: